राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/ 2115 जयपुर,दिनांकः 30/1/17

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 248 में निम्न प्रावधान है:–

"**248. कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण.**– (1) यदि कोई ढोर, घोडा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी, इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है या किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ या भटका हुआ या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है या जनता के लिए उत्पात या खतरा कारित करता हुआ पाया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐस ढोर, घोडा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने के लिए निर्देश दे सकेगा और उसको ऐसे स्थान पर, परिबद्ध करवायेगा या हटावायेगा और रखवायेगा, जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जावे, और ऐसे अभिग्रहण और परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने की लागत ऐसे पशु या पक्षी के विक्रय या, यथास्थिति, नीलाम द्वारा वसूलीय होगी:

परन्तु ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, नगर पालिका द्वारा ऐसे पशु या पक्षी का अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने या बनाये रखने में उपगत किये गये समस्त व्यय के संदाय पर और उसके दावे के समर्थन में ऐस साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर्याप्त समझे उसको छुडा सकेगा।

(2) किसी पशु या पक्षी की उप–धारा (1) के अधीन नीलाम द्वारा विक्रय से प्राप्त आगम को, ऐसे पशु या पक्षी के अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने और ऐसी विक्रय करवाने के मद्धे उपगत होने वाले व्ययों को पूरा करने में काम में लिया जायेगा, और अधिशेष, यदि कोई हो, मुख्य नगर पालिक अधिकारी द्वारा जमा कर लिया जायेगा और यदि ऐसे पशु या पक्षी के स्वामी द्वारा ऐसे विक्रय की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो नगर पालिका निधि में जमा करवा दिया जावेगा।"

अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुरूप किसी भी परिसर में पशु बिना अनुमति के नहीं रखे जा सकते है तथा सार्वजनिक स्थानो/रास्तो पर भी आवारा पशु का विचरण नहीं हो सकता है, जबकि देखने में यह आया है कि आवासीय परिसरो में पशु अवैध रूप से रखे जा रहे है तथा सार्वजनिक स्थानो पर भी आवारा पशु विचरण करते रहते है। इससे आम जनता को काफी असुविधा होती है।

इस संबंध में आवासीय परिसरो/सार्वजनिक स्थानो से अवैध पशुओ को हटाने के लिये नगरीय निकायो को निम्न निर्देश दिये जाते है:–

1. नगरीय निकायों की सीमा में रिहायशी क्षेत्रों में रखे जा रहे दुधारू पशुओ को चिन्हित किया जाकर नगरीय निकाय की सीमा से बाहर स्थानान्तरित किया जावे।

2. आम रास्तो/सार्वजनिक स्थानो पर विचरण करने वाले आवारो पशुओ को पकडकर नगर निकाय के कांजी हाऊस में भेजा जावे तथा निर्धारित जुर्माना राशि वसूल किये बिना पशुओं को नहीं छोडा जावे एवं छोडने से पहले ऐसे पशुओ की टैगिंग कराई जावे और यदि टैगिंग किये गये पशु दोबारा पकडे जाते है तो उनसे दुगुनी जुर्माना राशि वसूल की जावे।
3. ऐसे नगरीय निकाय जो स्वयं के कांजी हाऊस संचालित कर रहे है, वे कांजी हाऊस के सुचारू संचालन के लिये शहर के उपयुक्त एवं इच्छुक एन.जी.ओ. के माध्यम से यह कार्य कराना सुनिश्चित करावें ताकि कांजी हाऊस में पशुओ की समुचित देखभाल हो सके।
4. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी पशु डेयरी अवैध रूप से संचालित नहीं की जावे। जिन निकायो में ऐसी अवैध डेयरियो को स्थानान्तरित करने हेतु भूमि चिन्हित कर रखी है, उनमें चिन्हित स्थानो पर ऐसी डेयरियो को अविलम्ब स्थानान्तरित किया जावे।

इसके अतिरिक्त जिन निकायो में अभी तक स्थान चिन्हित नहीं किये गये है, ऐसे निकाय पशु डेयरियो के स्थानान्तरण के लिये विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/जिला कलक्टर के माध्यम से तत्काल उपयुक्त भूमि का आवंटन करवाकर पशु डेयरियो को स्थानान्तरित करने की योजना बनाकर दिनांक 31.03.2017 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपरोक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ0 मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/2116 – 2574 जयपुर दिनांकः 31/1/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज0 सरकार, जयपुर
02. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
06. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राज0।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), राज0।
08. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव